

**क्रमांक** निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML 03)/2025/ई – 10231

### **Corrigendum-1**

निदेशालय विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML 03)/2025/ई – 10231  
दिनांक: 16.02.2025 मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

- 01** खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.02.2025 से खनिज बेराईट्स, फ़ैल्सपार, अभ्रक एवं क्वार्टज को प्रधान खनिज की श्रेणी सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना की पालना में विज्ञप्ति के क्रम संख्या 24 से 31 तक अंकित प्लॉट्स खनिज क्वार्टज-फ़ैल्सपार के होने के कारण उक्त प्लॉट्स की ई-नीलामी को निरस्त किया जाता है।
- 02** विज्ञप्ति के क्रम संख्या 64, 67, 68, 73, 79, 85, 88, 89, 90, 91 पर अंकित प्लॉटो के कॉलम संख्या 09 “बिड प्रतिभूति (राशि रूपयों में)” में 1000000 के स्थान पर 500000 संशोधित की जाती है।
- 03** विज्ञप्ति के क्रम संख्या 178 पर अंकित प्लॉट के कॉलम संख्या 07 में प्लॉट का क्षेत्रफल(हैक्टर में) 3.00 हैक्टर, कॉलम संख्या 09 में “बिड प्रतिभूति (राशि रूपयों में)” में 2500000 एवं कॉलम संख्या 10 में “आरक्षित राशि(रूपयों में)” 1215000 संशोधित की जाती है।

(दीपक तँवर)  
निदेशक

**क्रमांक** निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML 03)/2025/ई – 10231

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. क्षेत्रिय प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाईट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के. का., उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन जयपुर, उदयपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियंता – अजमेर, जयपुर, उदयपुर।
5. खनि अभियंता – ब्यावर, जयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर।

निदेशक

